सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

आश्विन 1, सोमवार, *शाके* 1941–सितम्बर 23, 2019

Asvina 1, Monday, Saka 1941–September 23, 2019

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 23, 2019

संख्या एफ 3(1)(20)प्रथम/निर्वा/2019/डी–2062:– भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की निम्न अधिसूचना सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है।

आनन्द कुमार,
प्रमुख शासन सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली – 110001

दिनांक 23 सितम्बर, 2019
1 आश्विन, 1941 (शक)

अधिसूचना

सं. **100/राजस्थान–विधानसभा/2/2019:– यतः,** राजस्थान राज्य की विधानसभा में, 110–खींवसर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित श्री हनुमान बेनीवाल का स्थान उनके त्याग–पत्र देने के कारण दिनांक 04 जून, 2019 को रिक्त हो गया है; **और**

2. **यतः**, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ उप–निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3 **अतः, अब,** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उप–धारा (1) एवं धारा 30 और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतदद्‌वारा :–

(अ) राजस्थान राज्य के उक्त 110–खींवसर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह **अपेक्षा करता है** कि उक्त अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ, एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में, निम्नलिखित **निर्धारित करता है**:–

(क) नाम–निर्देशन करने हेतु अन्तिम तारीख, 30 सितम्बर, 2019 (सोमवार);
(ख) नाम–निर्देशनों की संवीक्षा करने हेतु तारीख, 01 अक्टूबर, 2019 (मंगलवार);
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने हेतु अंतिम तारीख, 03 अक्टूबर, 2019 (गुरूवार);
(घ) जिस तारीख को, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान कराया जाएगा, 21 अक्टूबर, 2019 (सोमवार);
(ङ) वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा, 27 अक्टूबर, 2019 (रविवार); **और**

(ई) **07:00 बजे पूर्वाहन से 06.00 बजे अपराह्न** तक का समय, **ऐसे समय के रूप में नियत करता है** जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान करवाया जाएगा।

आदेश से,
राहुल शर्मा,
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NirvachanSadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

Dated :23rd September, 2019

1 Asvina, 1941 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/RJ-LA/2/2019 :- **WHEREAS**, the seat of Sh. Hanuman Beniwal, in the Legislative Assembly of the State of Rajasthan, elected from 110-Khinwsar Assembly Constituency, has become vacant on 4th June, 2019, by reason of his resignation; **and**

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW, THEREFORE,** in pursuance of sub-section (1) of section 150, and section 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby: –

(A) **Calls upon** the said 110-Khinwsar Assembly Constituency in the State of Rajasthan, to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) **appoints,** with respect to the said election, -

(a) the 30th September, 2019 (Monday) as the last date for making nominations;

(b) the 01st October, 2019 (Tuesday). as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 3rd October, 2019 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 21st October, 2019 (Monday) as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;

(e) the 27th October, 2019 (Sunday) as the date before which the election shall be completed; **and**

(C) **fixes the hours** from **7.00 AM to 6.00 PM,** as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

RAHUL SHARMA,

SECRETARY

ELECTION COMMISSIONOF INDIA

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	आश्विन 1, सोमवार, *शाके* 1941–सितम्बर 23, 2019 *Asvina 1, Monday, Saka 1941–September 23, 2019*	

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 23, 2019

संख्या एफ 3(1)(20)प्रथम/निर्वा/2019/डी–2063:– भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की निम्न अधिसूचना सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है।

आनन्द कुमार,
प्रमुख शासन सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली – 110001

दिनांक 23 सितम्बर, 2019
1 आश्विन, 1941 (शक)

अधिसूचना

सं. **100/राजस्थान–विधानसभा/1/2019:– यतः,** राजस्थान राज्य की विधानसभा में, 28–मंडावा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित श्री नरेन्द्र कुमार का स्थान उनके त्याग–पत्र देने के कारण दिनांक 04 जून, 2019 को रिक्त हो गया है; **और**

2. **यतः**, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ उप–निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उप–धारा (1) एवं धारा 30 और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतदद्‌ारा :–

(अ) राजस्थान राज्य के उक्त 28–मंडावा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह **अपेक्षा करता है** कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ, एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में, निम्नलिखित **निर्धारित करता है**:–

- (क) नाम–निर्देशन करने हेतु अन्तिम तारीख, 30 सितम्बर, 2019 (सोमवार);
- (ख) नाम–निर्देशनों की संवीक्षा करने हेतु तारीख, 01 अक्टूबर, 2019 (मंगलवार);
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने हेतु अंतिम तारीख, 03 अक्टूबर, 2019 (गुरूवार);
- (घ) जिस तारीख को, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान कराया जाएगा, 21 अक्टूबर, 2019 (सोमवार);
- (ड) वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा, 27 अक्टूबर, 2019 (रविवार); **और**

(ई) **07:00 बजे पूर्वाहन से 06.00 बजे अपराह्न** तक का समय, **ऐसे समय के रूप में नियत करता है** जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान करवाया जाएगा।

आदेश से,
राहुल शर्मा,
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NirvachanSadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

Dated :23rd September, 2019
1 Asvina, 1941 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/RJ-LA/1/2019 :- **WHEREAS**, the seat of Sh. Narendra Kumar, in the Legislative Assembly of the State of Rajasthan, elected from 28-Mandawa Assembly Constituency, has become vacant on 4th June, 2019, by reason of his resignation; **and**

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW, THEREFORE,** in pursuance of sub-section (1) of section 150, and section 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby: –

(A) **Calls upon** the said 28-Mandawa Assembly Constituency in the State of Rajasthan, to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) **appoints,** with respect to the said election, -

(a) the 30th September, 2019 (Monday) as the last date for making nominations;

(b) the 01st October, 2019 (Tuesday). as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 3rd October, 2019 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 21st October, 2019 (Monday) as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;

(e) the 27th October, 2019 (Sunday) as the date before which the election shall be completed; **and**

(C) **fixes the hours** from **7.00 AM to 6.00 PM,** as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,
RAHUL SHARMA,
SECRETARY
ELECTION COMMISSIONOF INDIA

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।